

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302006

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले.प्रशि./2025/अलेसे-III / 1458

दिनांक:-03.06.2025

आदेश संख्या:-333/2025-26

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिकों को हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), जे.एल.एन मार्ग, जयपुर में दिनांक 02.06.2025 से 18.07.2025 तक आयोजित होने वाले कनिष्ठ लेखाकार पद के सात सप्ताह के संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिनांक 04.06.2025 को संस्थानिक प्रशिक्षण के लिए उपस्थिति देने हेतु मनोनीत किया जाता है:-

S.No.	Roll No.	Name Of Junior Accountant	Name Of Present Office
1.	768377	MANOJ KUMAR GANGWAL	TREASURY JAIPUR(CITY)
2.	763182	RAVINDRA KUMAR MEENA	TREASURY DAUSA
3.	731651	HARSH MEENA	TREASURY JAIPUR(CITY)
4.	752480	KHUSHBOO KUMARI MEENA	TREASURY JAIPUR(CITY)
5.	730992	PUSHPENDRA KUMAR MEENA	TREASURY DAUSA
6.	745761	YASHWANT MAHAWAR	TREASURY JAIPUR(CITY)
7.	755020	ABHISHEK MEENA	TREASURY JAIPUR(CITY)
8.	761185	ANJANA JANGID	TREASURY JAIPUR(CITY)
9.	748104	KISHAN LAL NAVARIYA	TREASURY JAIPUR(CITY)
10.	733760	DINESH MEENA	TREASURY JAIPUR(CITY)
11.	729990	MUNESH KUMAR BAIRWA	TREASURY DAUSA
12.	761348	HARKESH MEENA	TREASURY DAUSA
13.	725254	RAVI KUMAR DORIYA	TREASURY DAUSA
14.	764036	LOKESH MAHAWAR	TREASURY DAUSA
15.	737666	SUMIT MANDAWARIYA	TREASURY JAIPUR(CITY)
16.	754771	SURESH MEENA	TREASURY JAIPUR(CITY)
17.	746267	KAMLESH KUMAR MEENA	TREASURY DAUSA
18.	758277	PRIYANKA VERMA	TREASURY JAIPUR(CITY)
19.	768393	SHUBHAM PARSOYA	TREASURY JAIPUR(CITY)
20.	741132	KRISHN KUMAR MEENA	TREASURY JAIPUR(CITY)
21.	763131	RAKESH KUMAR MEENA	TREASURY DAUSA

22.	744161	GAURI SHANKAR MEENA	TREASURY DAUSA
23.	745991	AJAY KUMAR MEENA	TREASURY DAUSA
24.	750569	URMILA DEWAT	TREASURY JAIPUR(CITY)
25.	752060	RAKESH KUMAR MEENA	TREASURY JAIPUR(CITY)
26.	770400	NARSI LAL MEENA	TREASURY DAUSA
27.	756466	LAKSHYA KHANDELWAL	AWAITING POSTING ORDER
28.	759015	PRIYANKA MEENA	AWAITING POSTING ORDER
29.	753764	DINESH SHAKKARWAL	TREASURY JAIPUR(CITY)
30.	729466	POOJA VERMA	TREASURY JAIPUR(RURAL)
31.	767387	TEJPAL SINGH SHEKHAWAT	TREASURY JAIPUR(RURAL)
32.	736155	BHAGYA SHREE SAINI	TREASURY JAIPUR(RURAL)
33.	756786	SURESH KUMAR BAIRWA	TREASURY JAIPUR(RURAL)
34.	743802	JATIN KUMAR MEENA	TREASURY JAIPUR(RURAL)
35.	753616	POOJA MEENA	TREASURY JAIPUR(PENSION)
36.	744322	NARENDRA SINGH PALAWAT	TREASURY JAIPUR(PENSION)

उक्त प्रशिक्षण की अवधि सात सप्ताह (छः सप्ताह का संस्थानिक प्रशिक्षण व एक सप्ताह का परीक्षा कार्यक्रम) की होगी तथा प्रशिक्षण का समय प्रातः 09:30 से सायं 06:00 बजे तक रहेगा। उक्त प्रशिक्षण अवधि में सभी प्रशिक्षणार्थियों को वेतन एवं भते आदि का भुगतान उनके वर्तमान पदस्थापन कार्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

उक्त संस्थानिक प्रशिक्षण गैर-आवासीय है, यदि प्रशिक्षणार्थी आवास/बोर्डिंग आदि का लाभ लेना चाहे तो आवास व खान-पान आदि हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान द्वारा निर्धारित शुल्क पर उपलब्ध रहेगी। यद्यपि कार्यदिवसों हेतु मध्याह्न भोजन (Working Lunch) सभी प्रशिक्षणार्थियों को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा।

उक्त प्रशिक्षण अवधि में यात्रा भत्ता नियम के अध्याय XIII के नियम 34(2) अनुसार क्षतिपूर्ति भत्ता देय नहीं होगा। परन्तु मील भत्ता नियमानुसार देय होगा।

उपरोक्त सभी कार्मिकों को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 32(2) के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अतः सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि वे उनके कार्यालय/विभाग में कार्यरत उपरोक्त समस्त कार्मिकों को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करें। किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।

प्रशिक्षण की समाप्ति उपरान्त उपरोक्त सभी कनिष्ठ लेखाकार अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में ही उपस्थिति देंगे।



(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

1. महानिदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, (प्रशिक्षण एवं आयोजना) ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक/सहायक निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), जे.एल.एन मार्ग, जयपुर को प्रेषित कर लेख कि उपरोक्त कार्मिकों को प्रशिक्षण की समाप्ति पर उनके वर्तमान विभाग/कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर निदेशालय को सूचित करावें।
4. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
..... को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त कर इस विभाग को अवगत करावें क्योंकि किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।
5. सम्बन्धित कार्मिक को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में नियत तिथी/समय पर उपस्थित होकर उपस्थिति की सूचना निदेशालय को अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही के लिए तथा निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने के प्रतिफल के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
6. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
8. रक्षित/निजी पत्रावली।


(सोमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)